रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 1979/आषाढ़ 21, 1901

No 4] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1979/ASADHA 21, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Duplicate

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1979

का. नि. आ. 4 (अ).—शस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली संघ क्षेत्र में बिजली के उत्पादन, संभरण तथा वितरण से संबंधित प्रत्येक सेवा को समाज के लिए अति महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फाइल संख्या 2(58)/79/डी(जी. एस-1)]

का. नि. आ. 5 (अ).—शस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली जल प्रदाय तथा जलमल निकासी उपक्रम से संबंधित सेवा के प्रत्येक भाग को अथवा इनसे संबद्ध सभी सेवाओं को समाज के लिए अत्याधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फाइल संख्या 2(58)/79/डी(जी. एस.-1)]

हर मन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th July, 1979

S.R.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the generation supply and distribution of electricity in the Union Territory of Delhi to be a service of vital importance to the community.

[F. No. 2(58)/79/D(GS.I)]

S.R.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of or connected with Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking in the Union Territory of Delhi to be a service of vital importance to the community.

[F. No. 2(58)/79/D(GS.I)]

HAR MANDER SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979